

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

चन्दा कुमावत बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी)

सू.अ.अपील संख्या 254/2023

न. व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील में
जारी हुए

तारीख हुकम

08-04-24

अपीलार्थी चन्दा कुमावत निवासी प्लॉट संख्या 172, मेहरो का मोहल्ला, हसनपुरा-ए, जयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16/10/23 में (1) प्रेषित पत्र दिनांक 02.05.2023 में की गयी समस्त अनुवर्ती कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों की मय नोटशीट व कार्यालय टिप्पणी के प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओ से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (जिला रसद अधिकारी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (जिला रसद अधिकारी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

